



2026:AHK-LKO:18063-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 193 सन 2026**

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग लखनऊ एवं

3 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

धनंजय कुमार श्रीवास्तव

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अभिजीत मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी****(सी.एम. आवेदन संख्या - 1 / 2026)**

1. यह शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत विशेष अपील दाखिल करने में हुये विलंब की माफ़ी हेतु आवेदन है।
2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रतीश कुमार को श्री आनंद सिंह की सहायता से, राज्य की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद पाठक को श्री अनिल कुमार पांडे और सुश्री शुभांगी पुजारी की सहायता से सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. विशेष अपील दाखिल करने में हुये विलंब की माफ़ी हेतु आवेदन के लिए आवेदनकर्ता की ओर से प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिए गए कारण पर्याप्त हैं।

4. विलंब की माफ़ी हेतु आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और विलंब को माफ़ किया जाता है।

विशेष अपील पर आदेश

1. यह अपील राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम के अंतर्गत दायर की गई है और इसमें रिट - ए संख्या 3012/2025 में दिनांक 20.03.2025 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।

2. उक्त निर्णय के माध्यम से जिलाधिकारी, अमेठी को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करें और निर्णय लें तथा ऐसा करते समय इस न्यायालय द्वारा **दीपेंद्र प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; रिट - ए संख्या 1367/2022** के मामले में दिनांक 22.04.2024 को दिए गए निर्णय को ध्यान में रखें।

3. यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.04.2024 के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य ने एक विशेष अपील दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है। राज्य द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन भी दायर किया गया था जिसे 18.02.2026 को खारिज कर दिया गया था। आदेश न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अभी तक उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की गई है।

4. आगे यह भी सूचित किया जाता है कि **दीपेंद्र प्रकाश तिवारी (उपरोक्त)** मामले में **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जग प्रसाद चौबे; विशेष अपील संख्या 191/2024** के मामले में दिए गए एक पूर्व निर्णय का संदर्भ दिया गया था; जिसे 06.09.2024 को खारिज कर दिया गया था और उसी के विरुद्ध **विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 45369/2025; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जग प्रसाद चौबे** को भी 27.10.2025 को खारिज कर दिया गया था।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि विशेष अपील में उल्लिखित आधारों पर मामला बनाने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट कारणों से, क्योंकि इसी तरह के मामलों का निर्णय पहले ही एक समन्वय पीठ द्वारा किया जा चुका है और एक मामले में विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई है, जैसा कि ऊपर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उल्लेख किया गया है, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, विशेष रूप से क्योंकि इसका पहले ही अनुपालन किया जा चुका है और जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा दिनांक 02.02.2026 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को इसका लाभ प्रदान किया जा चुका है।

6. तदनुसार, विशेष अपील खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी] [न्यायमूर्ति राजन राँय]

मार्च 12, 2026

आर.के.पी./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।